कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com Ph./ Fax No. – 05963.253385 (O)

पत्रांक 173/2ई० दिनांक 28/01/2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग बागेश्वर।

विषयः– जनपद बागेष्वर के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग (प्रस्ताव सं0 27119/2017)

सन्दर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून के EDS dated 16-01-2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून द्वारा उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तियॉ लगायी गयी हैं उनका निम्नानुसार निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं0	लगायी गयी आपत्तियॉ	आख्या
1	Component wise breakup is yet to be corrected online	Component wise breakup be corrected online B-2.4
2	Justfication for locating the project in forest land is not C/S by DFO	Revised Justfication for locating the project in forest land C/S by DFO attached online pata-B Part-I
3	Site suitability certificate uploaded para I(iv) f instead of ownership proof	Site suitability certificate uploaded para I(iv) f instead of ownership proof attached online Part-I
4	Sol toposheet and digital map of CA area is not uploaded at designated place	Sol toposheet and digital map of CA area uploaded online Part-I
5	Land schedule is submitted for 9m width instead of 7m.	Revised outturn 9m with uploaded online Part-I Additional information S. No 36
6	The number of trees affected are mentioned as 123 in hard copy where as it is mentioned as 50as per enumeration list uploaded in part-II	Related with DFO office
7	Geologist report is not found uploaded	Geologist report uploaded online Part-I Additional information S. No 21
8	All document uploaded are in photocopies	All document uploaded
9	CA scheme submitted in photocopies	Revised CA scheme uploaded online Part-I Additional information S. No 37
10	Part-III submitted in photocopies	Part-III uploaded online Part-I Additional information S. No 33
11	Part-V is not submitted	Part-V uploaded online Part-I Additional information S. No 35

12	Part-I & III are unsigned	Part-I uploaded online Part-I Additional information S. No 38 & III uploaded online Part-I Additional information S. No 33
13	Hard copy of form I & II are not submitted	Hard copy of form I & II received Letter No Camp/Kapkot Dated 01-08-2017

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०,
कपकोट

NOTE FOR JUSTIFICATION

परियोजना का नाम :– जिला योजना के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक 4.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उक्त प्रस्तावित बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के किमी0 10 से प्रारम्भ होता है जो हरसीला एवं सीमा ग्राम को जोड़ता है जिनकी कुल आबादी 600 है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी। वर्तमान में गॉव की महिलायें पानी, लकड़ी, चारा आदि लेने के लिए दूर जाती हैं। मार्ग निर्माण के पश्चात उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर और बच्चों को अधिक समय दे पांएगी, जिससे कि बच्चों का लालन पालन तथा पठन–पाठन ठीक से होगा तथा कुपोषण जैसी भारी समस्या दूरी हो पाएगी। गॉव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के लिए नए अवसर मिलेंगें। ग्रामवासी अपने उत्पादित फल सब्जी, अनाज आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई से ले जा पाएगें साथ ही गॉव विकास की ओर अग्रसर होगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होगें।

यह संरेखण सिविल भूमि, वन पंचायत भूमि एवं नाप भूमि से होकर गुजरता है। अन्य किसी श्रेणी की भूमि प्रभावित नहीं होती है। संरेखण के अन्तर्गत कोई मकान, मस्जिद, कब्रिस्तान का भाग नहीं आता है।

उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 4.00 किमी0 तथा मार्ग की चौड़ाई 9.00 मी0 ली गई है। मार्ग के निर्माण में सिविल भूमि 1.912 हैक्टेयर, आरक्षित भूमि 0.607 है0 एवं नापभूमि 1.080 हैक्टेयर प्रभावित होती है। उक्त प्रयोजनार्थ इस भूमि हेतु न्यूनतम संरेखणों पर विचार किया गया है।

समरेखन नं0–1 इस समरेखन के अनुसार इस मार्ग का संरेखन बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के किमी0 10 से प्रारम्भ होता है मार्ग की लम्बाई 4.00 किमी0 है तथा निर्माण की लागत कम है मार्ग में 10 नं0 हियर पिन बैण्ड पड़ते हैं। तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है। लम्बाई कम है तथा इस संरेखन के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत हैं। वृक्षों की संख्या कम है।

समरेखन नं0–2 इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग का समरेखन स्थल बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के किमी0 10 से प्रारम्भ होता है। मार्ग की लम्बाई 4.50 किमी0 आती है। मार्ग की लम्बाई अधिक होने के कारण निर्माण की लागत अधिक आती है। इस समरेखन में अधिक वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। मार्ग में 11 नं0 हियरपिन बैण्ड पड़ते हैं, तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही नहीं मिलता तथा समरेखन के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण में ग्रामवासीयों की वन पंचायत की इमारती लकड़ी का अधिक नुकसान हो रहा है। जिससे ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं0–2 को निरस्त कर समरेखण नं–1 को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में सिविल भूमि 1.912 हैक्टेयर, वन पंचायत भूमि 0.00 हैक्टेयर, आरक्षित भूमि 0.607 एवं नापभूमि 1.080 हैक्टेयर प्रभावित होती है जो न्यूनतम है। मोटर मार्ग की लम्बाई 4.00 किमी0 व चौडाई 9 मी0 में ली गयी है एवं मोटर मार्ग का निर्माण करने से पूर्व यह प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

मोटर मार्ग निर्माण हेतु 9.00 मी0 चौडाई में भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु कुल 05 डम्पिंग जोन जिनकी चौडाई 1.50 मी0 है तथा प्रतिधारक दीवार जिसकी ऊचाई 2.00 से 3.00 मी0 के बीच है प्रस्तावित किये गये है। मार्ग निर्माण 6.00 मी0 चौडाई मे किया जायेगा तथा इसके पश्चात खडड साईड मे स्थित 1.50 मी0 चौडाई के डम्पिंग जोन में मलवा निस्तारण किया जायेगा। इस प्रकार समस्त पांचों डम्पिंग जोन में 6.00 मी0 मार्ग निर्माण एवं खडड साईड मे 1.50 मी0 कुल 7.50 मी0 चौडाई मे भूमि प्रभावित होगी तथा मलवा निस्तारण स्थल का क्षेत्रफल भूमि हस्तान्तरण हेतु 9.00 मी0 चौडाई में सम्मिलित है।

अतः प्रभावित वनभूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत करने की कृपा करें ।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
कपकोट

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
कपकोट

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
कपकोट

2.10(a)

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक 4.60 कि0मी0 मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.038 है0 ग्राम बिन्सोरिया इवल (दिखित) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ली गयी है। वह क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

वन क्षेत्राधिकारी | उप प्रभागीय वनाधिकारी | प्रभागीय वनाधिकारी

परियोजना का नाम— जिला योजना के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक 4.00 किमी0 मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सिविल सोयम भूमि पर वृक्षारोपण की निरीक्षण टिप्पणी रिपोर्ट एवं उपयुक्तता का प्रमाण पत्र

जिला योजना के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक 4.00 किमी0 प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में ग्राम हरसीला एवं सीमा की 2.519 है0 सिविल भूमि, 1.912 है0 वन पंचायत भूमि, 0.00 है0 आरक्षित वनभूमि, कुल 0.607 है0 भूमि निर्माण कार्य एवं मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित है। इस क्षेत्रफल के दुगने अवनत सिविल भूमि पर ग्राम [illegible] श्रेणी [illegible] अन्य वन के वन मध्ये 5.038 है0 सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित है। यह भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रेणी [illegible] में भूमि दर्ज है। जो पटवारी क्षेत्र–[illegible] तहसील–[illegible] जिला–बागेश्वर के नियंत्राणाधीन है।

शासनादेश संख्या 883(i)/x-3/2011/8(21)/2010 दिनांक 4 अक्टूबर 2011 के पश्चात शासनादेश संख्या 2882 viii(2)/11-18 (120)/2010 दिनांक 11 नवम्बर-2011 के निर्देशानुसार प्रस्तावित उक्त सिविल सोयम भूमि जिसका परीक्षण राजस्व उप निरीक्षक [illegible] द्वारा दिनांक 10/07/17 को किया जा चुका है मौके पर प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इस भूमि पर किसी भी प्रकार के इमारती आदि के वन नहीं है तथा वन स्वरुप नहीं है।

अतः उपरोक्त सिविल सोयम भूमि वन स्वरुप न होने के कारण वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

[signature] 11/7
राजस्व उप निरीक्षक / पटवारी

[signature]
निरीक्षक 10/07/17

परियोजना का नाम– जिला योजना के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक (4.00किमी0) मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सिविल सोयम भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जिला योजना के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक (4.00किमी0) प्रस्तावित मोटर मार्ग नव निर्माण के स्थल निरीक्षण कर पाया गया कि प्रस्तावित संरेखण पर वृक्ष खड़े मौजूद है जिनकी गणना प्रस्ताव विभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त निरीक्षण निरीक्षण के समय की जा चुकी है। अतः शासनादेश 866/x-3-2011/8(21)/2010 दिनांक 28.09.2011 तथा 883/x-3-2011/8(21)/2010 दिनांक 04.01.2011 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार उपरोक्त सिविल सोयम भूमि राजस्व अभिलेखों श्रेणी 5(3) ई, कृषि योग्य बंजर भूमि में दर्ज कागजात है। एवं वनभूमि मे वृक्ष खड़े होने एवं वृक्षों का स्वरूप वन होने के कारण इस प्रस्तावित सिविल भूमि का भूमि हस्तान्तरण नियमानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवश्यक है।

अतः याचक विभाग प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव वन अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु तैयार किया जा रहा है।

गढ़खेत / गिरेछीना रेंज	तहसील कपकोट	Sub Divisional Magistrate Kapkote (Bageshwar)

27/06/17

बागेश्वर

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

परियोजना का नाम:– जिला योजना के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक [illegible].00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण में 2
2.519है0 वनभूमि के सापेक्ष दुगूने क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण।

वृक्षारोपण स्थल का का नाम– [illegible]

क्षेत्रफल–2.519x2=5.038Hac.

प्रति हैक्टेयर रोपित पौधों की संख्या–2000 पौध प्रति हैक्टेयर

क0सं0	कार्य का नाम	मात्रा	ई0	इकाई दर	प्रति	धनराशि
	प्रथम चरण–					
1	सर्वे एवं सीमांकन	1	है0	500.00	है0	500.00
2	क्षेत्र की सफाई (झाडी कटान आदि)	1	है0	616.00	है0	616.00
3	जल एवं भूमि संरक्षण कार्य।	1	है0	9000.00	है0	9000.00
4	अग्रिम दिवाल बंदी फेसिंग 84 घ0मी0	1	है0	19000.00	है0	19000.00
5	गड्ढा खुदान (0.30x0.30x0.45)	1	है0	12200.00	है0	12200.00
6	निरीक्षण बटिया निर्माण	1	है0	1100.00	है0	1100.00
7	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	1	है0	12000.00	है0	12000.00
8	अन्य व्यय–औजारों की धार तेज कराई, यत्र	1	है0	550.00	है0	550.00
	योग–					**54966.00**
	द्वितीय चरण–					
1	गड्ढा भरान कार्य औसत (0.30x0.30x0.45)	1	है0	2000.00	है0	2000.00
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	1	है0	2000.00	है0	2000.00
3	पौध ढुलान कार्य	1	है0	10000.00	है0	10000.00
4	पौधरोपण व थावला बन्दी	1	है0	4000.00	है0	4000.00
5	निराई–गुडाई व मल्चिंग (दो बार)	1	है0	5000.00	है0	5000.00
6	खाद व दवा खरीद मय मिश्रण	1	है0	800.00	है0	800.00
7	रोपण वर्ष में देखरेख एवं अनु0 कार्य 8 माह	1	है0	10000.00	है0	10000.00
8	वृक्षारोपण क्षेत्र मे सूखे घास–फुस एवं ज्वलनशील पदार्थ	1	है0	500.00	है0	500.00
9	सुरक्षा दीवाल के बाहर 4मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	500.00	है0	500.00
10	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा हेतु प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन देना					
	1. प्रशिक्षण	1	है0	500.00	है0	500.00
	2. प्रोत्साहन	1	है0	500.00	है0	500.00
11	वृक्षारोपण क्षेत्र के निकट ग्रामवासियों को ईधन आपूर्ति करना	1	है0	6000.00	है0	6000.00
12	अन्य व्यय साईन बोर्ड, फोटोग्राफी आदि	1	है0	500.00	है0	500.00
	योग–द्वितीय चरण					**42300.00**
	योग–प्रथम चरण व द्वितीय चरण					**97266.00**

तृतीय चरण अनुरक्षण कार्य दस वर्षो का

1	रोपण कार्य के बाद प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	12000.00	है0	12000.00
2	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास–फूस पदार्थ हटाना	1	है0	300.00	है0	300.00
3	सुरक्षा दीवाल के बार 4 मी0 पट्टी साफ करना।	1	है0	300.00	है0	300.00
4	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा हेतु प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन देना					0.00
	1. प्रशिक्षण	1	है0	400.00	है0	400.00
	2. प्रोत्साहन	1	है0	300.00	है0	300.00
	योग–तृतीय					**13300.00**

उक्तानुसार 10 वर्षो का रखरखाव (13300.00x10=133000.00)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण के आगणन का सारांश

क0सं0	वर्ष का नाम	प्रति है0 व्यय धनराशि (रु0 में)
1	प्रथम वर्ष	54966.00
2	द्वितीय वर्ष	42300.00
3	तृतीय वर्ष	13300.00
4	चतुर्थ वर्ष	13300.00
5	पंचम वर्ष	13301.00
6	षष्ठम वर्ष	13302.00
7	सप्तम वर्ष	13303.00
8	अष्टम वर्ष	13304.00
9	नवम वर्ष	13305.00
10	दशम वर्ष	13306.00
11	ग्यारहवा वर्ष	13307.00
12	बारहवा वर्ष	13308.00
	योग:–	**230302.00**
1	प्रति है0 व्यय धनराशि– 2303020.00 प्रति है0	
2	परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षे0–2.519x2=5.038 है0	
3	दुगुने क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अपेक्षित धनराशि	**5.038x230302=**
		1160261.476

जिला योजना अन्तर्गत हरसिला से सीमा तक(4.00 कि0मी0) मोटर मार्ग में प्रभावित वृक्षों का आउटटर्न

चौड़ाई–9.00मीटर

भूमि का नाम	प्रजाति	व्यास श्रेणी	वृक्षों की संख्या	दर	धनराशि	आयतन गुणंक	आयतन घ. मी0
1	2	3	4	5	6	7	8
पुंगर कक्ष 8 एवं 9	सुरई	0-20	43	-----	------	-----	-----
		20-30	11	192.00	2112.00	0.307	3.337
	पदम	0-20	05	-----	------	-------	------
		20-30	03	192.00	576.00	0.255	0.765
	तुन	40-50	01	14270.00	14270.00	1.650	1.650
	अकेसिया	0-20	10	------	---------	-------	-------
	बॉज	0-20	08	-------	--------	0.054	0.432
		20-30	02	192.00	384.00	0.320	0.640
	चीड़	0-20	04	------	-------	-------	-------
		20-30	06	420.00	2520.00	0.184	1.104
	पौपलर	30-40	04	385.00	1540.00	0.682	2.728
	क्वैराल	20-30	08	192.00	1536.00	0.453	3.624
सीमा सिविल	क्वैराल	0-20	06	154.00	924.00	0.054	0.324
	चीड़	0-20	02	-----	------	-----	-----
		20-30	04	420.00	1680.00	0.184	0.736
	बॉज	0-20	01	154.00	154.00	0.054	0.054
	योग–		118		25696		15.394

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

प्रपत्र–2

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1

क्र.सं.	परियोजना विवरण :–	
1	क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	जिला योजना के अन्तर्गत हरसीला से रीमा तक 4.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।
	ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
	ग) परियोजना की लागत।	**रू0 184.00 लाख**
	घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	सुदूर एवं पिछड़े क्षेत्र के लिये यातायात की सुविधा हेतु मो0मार्ग का निर्माण
	ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	संलग्न है।
	च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	कृषि, दुग्ध एवं पर्यटन के आवागमन में वृद्वि होगी तथा रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे।
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:	प्रस्तावित मार्ग निर्माण हेतु सिविल भूमि–1.912 हैक्टेयर, आरक्षित वनभूमि – 0.607हैक्टेयर, वन पंचायत भूमि 0.00 हैक्टेयर, **(कुल वनभूमि– 2.519** है0)वनभूमि
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई हों, क) परिवारों की संख्या	नहीं
	ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	नहीं
	ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	नहीं
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नही)	अभी मार्ग कच्चा बनना है आवश्यक हुआ तो डामरीकरण के समय पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरकवनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता(वचनवद्धता संलग्न की जाये)	संलग्न है।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।	अनुसूची संलग्न है।

दिनांक 21/1/17
स्थान कपकोट

सहायक अभियन्ता
निर्माण खंड लो.नि.वि.
कपकोट

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खंड लो.नि.वि.
कपकोट

प्रस्ताव की कम संख्या........

PART-II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal : UK-0160/2017

1. **Location of the project/Scheme :** Uttarakhand

(i)

State / Union Territory : Uttarakhand

(ii)

District : Bageshwar

(iii)

Forest Division : Bageshwar

(iv)

Area of forest land proposed for diversion (in ha.) : 2.519

(v)

Category of the Proposal: Road

2. **Legal status of forest land proposed for diversion**

S. No.	Division	Forest Land(ha.)	Legal Status
1	Bageshwar	1.912	Revenue Forest
2	Bageshwar	0.607	Reserved Forest

Division 1. : Bageshwar

3. **District wise area to be diverted in the division**

S. No.	District	Area(ha.)
1	Bageshwar	2.519

4. **Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion**

(i)

Density of vegetation

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	2.519	0.2	Eco 5

(ii) **Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL**

S. No.	Scientific Name	Local Name	(0-30)cm.	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Prunus Cerasoides	padam	05	03	0	0	0	0
2	Toona ciliata	toon	0	0	0	4	0	0
3	Quercus leucotricophora	baaj	9	2	0	0	0	0
4	Pinus roxburghii	chir	06	10	0	0	0	0
5	Others	kukat	53	27	4	0	0	0

5. **Working plan prescription for the forest land proposed for diversion :**

pungar compartment no 08,09,Chir working circle, qt class 2/3,FB-last,

6. **Brief note on vulnerability of the forest area to erosion :** The area is not prone to soil erosion

7. **Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.) :** .500

8. **Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view**

(i). **Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion :** Wildlife presence is rare in the proposed land

(ii). **Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve,tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. :** No

(iii). **Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act,1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified,then, 10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ):** No

(iv). **Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion :** No

(v). **Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area :** No

9.

Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any

(i). **Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area :** No

10. **Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion**

(i). **Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project :** Yes

11. **Details of violation(s), if any ,committed**

(i). **Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out :** No

12. **Whether work in violation is still in progres(Yes/No) :** NIL

13. **Details of compensatory afforestation scheme**

(i).

Patch wise details of non-forest or Revenue forest land to be provided by User Agency for CA

Patch Wise Details						
S.no	District Name	Village	Area(in ha.)	khasra	KML file	Present Owner file
1	Bageshwar	Bijori Jhal	5.038	2		

(ii).

Upload a scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed for C.A. prepared by using DGPS or Total Station:

(iii).

Upload a copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed for C.A:

Additional information Details

S. No.	Documents	Remarks
	NIL	

14. **District Profile**

S.no	District	Geographical	Forest	Total forest	No. of	Forest Land	Progress of	A)	B) Non-

	Name	area of the district (in ha.)	area of the district (in ha.)	area diverted since 1980 (in ha.)	Approved Cases	including penal C.A. (in ha.)	compensatory afforestation as on(date)	Forest land (in ha.)	forest land (in ha.)
1	Bageshwar	231000	107400	726.60415	385	1453.2083	22/02/2018	1356	0

15.

Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land

Division Name	Circle	Site inspected By	Whether site inspected	No. of times site visited	Site inspection report	Date of visit
	North Kumaun	CF	No		No Data	
Bageshwar	North Kumaun	DFO	Yes	One		10/02/2018

(Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with(Part II,III & Part IV)).

16.

Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason

Division	Circle	Recommendation By	Recommendation	Reason	Letter	Whether CF agreed
Bageshwar	North Kumaun	DFO	Recommended			
	North Kumaun	CF	Recommended	The Proposal is in Public Interest. As per Proposal population 600 of 2 villages will be benefited hence recommended.		Yes
		Nodal Officer	Recommended	as per file attached		

Specific recommendation of the State Government(Part V).

17.

Specific recommendation of the State Government for acceptance or otherwise of the proposal with reason (Part V)

State	Recommendation By	Recommendation	Recommendation Date	Remarks	Signing Authority	Notification	Recommendation Letter
Uttarakhand	State Secretary	Recommended	05/06/2018	as per file attached	State Govt. Officer	No Data	

Payment made by User Agency

18. Payment made by User Agency

Proposal No.	Application No.	Total Amount (Rs.)	Transaction Date	Transaction ID	Bank Name	Mode of Payment	Uploaded Demand Letter
No Data							

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

भाग–III

हरसाली से सीमा तक मोटर मार्ग – 4.00 किमी0

प्रस्ताव संख्या (27119/2017)

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14– स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नही) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नही। प्रस्तावित 04.00 किमी0 की लम्बाई में **कुल 02 बाँज** के वृक्ष प्रभावित हो रहे है। अतः अधोहस्ताक्षरी के स्तर से अलग से कोई निरीक्षण न कर प्रभागीय वनाधिकारी के स्थलीय निरीक्षण दिनांक 10.02.2018 के आधार पर ही सहमति व्यक्त की जा रही है।
15– क्या सम्बन्धित वन संरक्षक पार्ट– II में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ। सहमत।
16– प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे मे सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनांकः– 23.02.2018

स्थानः–अल्मोड़ा।

(डॉ0 आई0पी0 सिंह)
वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः जनपद– **बागेश्वर में हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.519 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

(FP/UK/ROAD/27119/2017)

टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु बागेश्वर वन प्रभाग में **1.912** हे0 राजस्व एवं **0.607** हे0 आरक्षित वन भूमि अर्थात कुल **2.519** हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर तथा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः **बागेश्वर में हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग हेतु** प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः

नाम व पदनामः (मनोज चन्द्रन भा.व.से.)
मुख्य वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

सरकारी मोहरः
तिथि : 17 /05/2018
स्थान : देहरादून

01(95)2018

PROPOSALNO- FP/UK/Road/27119/2017
PROPOSALNAME-Harsila-to-sima-motor-road

AREA - 2.519 Ha
District- Bageshwar

PART- V

(To be filled in by the Secretary in charge of Forest Department or by any other authorised officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Recommendation of the State Government:
(Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon)

RECOMMENDED

05/06/2018

Signature-

Name and designation

Official seal

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
सचिव
वन एवं पर्यावरण विभाग
उत्तराखण्ड शासन